भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 98

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

महिलाओं के साइबर अपराध

98. डॉ. सुजय विखे पाटील:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध और उनके सोशल मीडिया पर की जाने वाली हैकिंग के विरुद्ध कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास विशेषकर महिलाओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हैकिंग से निपटने के लिए कोई कार्य योजना है/नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सोशल मीडिया हैकिंग के संबंध में साइबर अपराधा शाखा द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से **(ग)**: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों में साइबर स्पेस में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान बनाये हैं। आईटी अधिनियम में कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित विभिन्न साइबर अपराधों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें बेईमानी से या धोखाधड़ी से कंप्यूटर संसाधन तक उसके मालिक की अनुमति के बिना आमतौर पर हैकिंग (धारा 66), पहचान की चोरी (धारा 66 ग), प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (धारा 66 घ) ,शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन (धारा 66ड.), अश्लील सूचना सामग्री का प्रसारण (धारा 67), और इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट गतिविधि युक्त सूचना सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67क और 67ख) और कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ (धारा 65), आदि शामिल हैं । ऐसा प्रत्येक साइबर अपराध एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय है जो तीन साल या पांच साल तक बढ़ सकता है, और आईटी अधिनियम की धारा 77 ख के अनुसार ऐसे साइबर

अपराध संज्ञेय अपराध हैं। ये साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत दंडनीय विभिन्न संज्ञेय अपराधों के अतिरिक्त हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार (धारा 354घ) का उपयोग करके पीछा करने का संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' एक राज्य का विषय है और इस तरह, राज्य पुलिस विभागों के माध्यम से ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच आदि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जो कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना शामिल है ।

साइबरस्पेस को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएसूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्तीदिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 बनाया है, जिसमें सोशल मीडियामध्यवर्ती सहित माध्यस्थों की आवश्यकता है जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार सावधानी का निरीक्षण करना है :

(i) उनकी वेबसाइट और ऐप पर प्रकाशित करने के लिए, उनके नियम और विनियम, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौता;

(ii) उपर्युक्त नियमों को अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए और उपयोगकर्ताओं को होस्ट करने, डिस्प्ले करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, संचारित करने, स्टोर करने, अपडेट करने या साझा करने के लिए उचित प्रयास करने हेतु अन्य लोगों के बीच, जो जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, या अश्लील है , या दूसरे की निजता पर आक्रमण करता है, या लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न करता है, या नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक है, या मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, या हिंसा भड़काने के इरादे से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है , या बच्चे के लिए हानिकारक है, या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है, या भारत या सार्वजनिक व्यवस्था की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालता है, या जांच को रोकता है, या किसी कानून का उल्लंघन करता है;

(iii) कानून के तहत या साइबर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर;

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करना;

(v) यदि कोई मध्यवर्ती एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती है (*अर्थात,* एक मध्यवर्ती जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं), कानून प्रवर्तन के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए एजेंसियों और एक निवासी शिकायत अधिकारी, मासिक अनुपालन रिपोर्ट आदि प्रकाशित करना।

इसके अलावाइसने दिनांक 28.10.2022 को इन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि ऐसी शिकायतों पर शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध उपयोगकर्ताओं को अपील करने की अनुमति देने के लिए एक या एक से अधिक शिकायत अपील समिति (समितियों) की स्थापना की जा सके ।

इसके अलावा गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है ताकि नागरिकों को महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करने और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) चरण-द्वितीय

परियोजना को भी लागू कर रहा है। इसके तहत देश भर में बड़ी संख्या में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं,राज्य साइबर सेल/पुलिस विभागों के सहयोग से शहर, दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रिंट और डिजिटल मोड में प्रकाशित द्वैमासिक समाचार पत्र, और हैंडबुक, मल्टीमीडिया लघु वीडियो, पोस्टर आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्रीके सहयोग से चुनिंदा शहरों में आयोजित साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के माध्यम से अप्रत्यक्ष मोड में करोड़ों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए स्कूल प्रशिक्षितशिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में किया गया हैजिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है और आईएसईए जागरूकता पोर्टल (www.infosecawareness.in) पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।पोर्टल पर साइबर स्वच्छता प्रथाओं पर एक स्व-गतिशील तीन मॉड्यूल ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और कई ने प्रमाणन भी प्राप्त किया है। डिजाइन की गई और प्रसारित की गई सामग्री में महिलाओं के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता हैंडबुक शीर्षक वाली एक विशेष हैंडबुक और महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियों पर और कोविड-19 के दौरान Women@Home के लिए ऑनलाइन सुरक्षा युक्तियों पर पुस्तिकाएं शामिल हैं।

(घ): अपराध पर डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा बनाए रखा जाता है। ब्यूरो के अनुसारसोशल मीडिया हैकिंग के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा इसके पास उपलब्ध नहीं है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत अपराध-शीर्ष-वार आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

******

अनुबंध

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की श्रेणी में अपराध-शीर्षवार दर्ज मामले

क्र.सं.	**प्रमुख अपराध**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के साथ पठित साइबर ब्लैकमेलिंग या धमकी {भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 506, 503 और 384)	113	108	74	200
2	साइबर पोर्नोग्राफी या होस्टिंग या अश्लील यौन सूचना सामग्री का प्रकाशन {अन्य आईपीसी या विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के साथ पठित आईटी अधिनियम की धारा 67क या 67ख (बच्ची) }	862	1,174	1,655	1,896
3	आईटी अधिनियम के साथ पठित महिलाओं का साइबर स्टाकिंग या साइबर बुलिंग (आईपीसी की धारा 354घ)	738	785	887	1,172
4	मानहानि या छेड़छाड़{ आईपीसी और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986के साथ पठित आईपीसी की धारा 469}	62	65	251	276
5	नकली प्रोफ़ाइल (आईपीसी/एसएलएल के साथ पठित)	207	288	354	225
6	महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध	4,048	5,995	7,184	6,961
	कुल	**6,030**	**8,415**	**10,405**	**10,730**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

******